



12-7-24

अधिकम्ता अपीलॉट्स उपस्थित। अधिकम्ता  
अपीलॉट्स द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलॉट्स  
अधिकम्ता के पास उपस्थित नहीं आते हैं जिससे  
परीक्षाएं कि अपीलॉट्स विचारणीय अपील  
को चलाते हैं इच्छुक नहीं हैं साथ ही अधिकम्ता  
अपीलॉट्स द्वारा Not Process किया गया।

अधिकम्ता अपीलॉट्स द्वारा Not Process  
करने पर अकरण इनवर्नी इन्ड बनाम धनसीराम  
मु. नं० 1/2014 अंतर्गत धारा 217 स्थान काश्त करी  
अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) में पारित  
तदधीनकार बसवा के निर्णय दिनांक 30-3-2015  
के विरुद्ध धनसीराम अजय मीना व अन्य  
बिवासी हीगोय तदधीनकार बसवा जिला दौसा द्वारा  
इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज की  
जाती है। निर्णय की प्रति सहित दायीनस्थ  
न्यायालय तदधीनकार बसवा की मूल पत्रावली  
वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुभार की  
जकर नम्बर से कम है एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट  
अभिलेखाकार की जावे। निर्णय आज दिनांक  
12-7-2024 को मेरे द्वारा पुरे न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
(सुमित्रा पारीक)  
अति. जिला कलक्टर  
दौसा (राज.)



अपील  
पारि द्वारा अपील नही  
किये हैं 9 अपील प्रस्तुत  
नही केने की वजह  
Not Process की गयी  
  
12-7-24

